30/03/2021

पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी व परोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया है कि प्रार्थी के दादा का सही नाम मूला है एवं प्रार्थी के पिता के नाम राजस्व ग्राम कुण्डाला पटवार हल्का लादी का बास तह. नीमकाथाना में खाता संख्या 15 के हिस्सा 1/16 का सह खातेदार हैं। परन्तु राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से प्रार्थी के दादा का नाम कालू दर्ज कर दिया गया है, जिसे राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्त किया जाना उचित है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मृत्यु प्रमाण पत्र, नामान्तरकरण पंजिका ग्राम कुण्डाला की प्रति प्रस्तुत किया हैं जिनमें प्रार्थी के दादा का नाम मूला है, एवं बतौर साक्ष्य सह खातेदार धर्मपाल पुत्र रामकुंवार एवं स्वंय के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों एवं तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2020/4427 दिनांक 05.11.2020 से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताकीद होती हैं।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बतौर साक्ष्य सह खातेदार धर्मपाल पुत्र रामकुंवार के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के दादा का नाम कालू अंकित है। प्रार्थी का कथन कि प्रार्थी के दादा का सही नाम मूला है की पुष्टि मृत्यु प्रमाण पत्र, नामान्तरकरण पंजिका ग्राम कुण्डाला की प्रति से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं बतौर साक्ष्य सह खातेदार धर्मपाल पुत्र रामकुंवार एवं स्वंय के नोटेरी तस्दीकशुदा शपथ पत्रों एवं तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2020/4427 दिनांक 05.11.2020 के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2021.03.31 15:47:58 IST
Reason: Sanctioned

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं तथा तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता हैं कि राजस्व ग्राम कुण्डाला पटवार हल्का लादी का बास तह. नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 15

हिस्सा 1/16 जमाबन्दी सम्वत 2075–2078 राजस्व रिकॉर्ड में **गोरीसाय पुत्र कालू** के स्थान पर **गोरीसहाय पुत्र मूला** दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2021.03.31 15:47:58 IST
Reason: SelfAttested